

फॉर्म अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला दिल्ली-दमद

बनाम


नं. 117/22

सन 2021

किरम मुकदमा- पत्थरगढी

नया र सहीद अदालत
जो इस मुकदमे की नकल
की नकल में प्रती है

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज |
|------------|--|
| 26/4/22 | <p>प्राथी की ओर से वकील श्री ... ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलओआरएक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्राथी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलओआरएक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>डूंगला</u> पटवार मण्डल <u>...</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>...</u> रकबा <u>2.54.00</u> हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ोसी है प्राथी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, वहस सुनी गई। प्राथी जैर वहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>2007</u>- अक्षर <u>...</u> हजार रुपये कीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदावस्ती नक्शे के अनुसार विना किसी के कब्जे काश्त में दखल दिये मौजा <u>...</u> पटवार मण्डल <u>...</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>...</u> रकबा <u>...</u> है0/बीघा भूमि की पत्थरगढी मुकममल तौर पर की जावें।</p> <p>पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>2015/22</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> |


उपखण्ड अधिकारी
डूंगला